न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 82/2019

उनवान

छीतरमल उर्फ प्रेमचन्द पुत्र सूजानमल जाति महाजन सरावगी नि0 बाघसुरी, नसीराबाद हाल नि0 अजमेर

— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री मौ0 इकबाल

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

2. मुकेश,
3. मनोज पुत्र लादूलाल उर्फ गबरूलाल जाति महाजन सरावगी, नि0 बाघसुरी, नसीराबाद हाल नि0 अजमेर।

— तरतीबी वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री नर सिंह रावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 14.8.24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रामपुरा न्यारा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
232	9—5—0	215	9—5—0	335	1.50

उपरोक्त आराजी के खातेदार गोदा पुत्र भूरा जाति गुर्जर थे। जिसके द्वारा आराजी मुतनाजा वादी लादूलाल उर्फ गबरूलाल व छीतरमल उर्फ प्रेमचन्द पि. सुजानमल जाति महाजन के नाम रहन रखी थी, जो कि वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2014 से 2017, 2018 से 2021, 2023 से 2025, 2041 से 2044 व हाल जमाबंदी सवंत 2071 से 2074 से सिद्व होता है। उक्त आराजी मूल खातेदार द्वारा रहन रखने के बाद भूमि को पुनः प्राप्त करने बाबत कोई कार्यवाही नही की गयी। तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण लादूलाल वगै. बनाम गोदा में जारी आदेश दिनांक 17.03.1974 के अनुसार वादी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 07.03.1974 के अनुसार जारी किया गया। आराजी मुतनाजा के खा[illegible] पुत्र भूरा कई वर्षो से यहा नही रह रहा है। ना ही उसका कोई [illegible] रिश्ते[illegible] है। आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा सवंत 2014 से 2017 से चला [illegible] मुतनाजा से गोदा पुत्र भूरा का नाम तर्क कर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] खातेदारी दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:05 IST
Reason: SelfAttested

2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा गोदा पुत्र भूरा के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। भूमि वादी अथवा उसके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज नही थी। गोदा पुत्र भूरा या उसके वारिसों को पक्षकार नही बनाया है। आराजी मुतनाजा वादी के पास रहन दर्ज है। रहन दर्ज होने मात्र से वादी का उक्त आराजी पर हक व अधिकार निहित नही हो जाता है। वादी ने अप्रमाणित आदेशिका दिनांक 3.1.73 की पेश की है किन्तु उक्त आदेशिका न्यायालय आदेश की श्रेणी मे नही आती है। उक्त आदेश में मूल खातेदार को सुनवाई का बाबत कोई तथ्य भी स्पष्ट नही है। आदेशिका में आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किय गये है। वादी प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधर पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43(1) के तहत भूमि अधिकतम 5 वर्ष तक ही रहन रखी जा सकती है। 5 वर्ष व्यतित होने के बाद भूमि स्वतः रहन मुक्त हो जाती है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

तरतीबी वादी ने जवाब पेश कर वद के तथ्यों को स्वीकार किया व निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

    -- वादी

2. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (1) के तहत वाद खारिज योग्य है ?

    -- प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी छीतरमल का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी पक्ष ने कोई साक्ष्य नही पेश किये।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 232 रकबा 9-5-0 के वर्किंग खसरा नमबर 215 रकबा 9-5-0 के हाल खसरा नमबर 335 रकबा 1.50 चौसाला जमाबंदी सवंत 2014 से 2017, 2018 से 2021, 2023 से 2025, वर्किंग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में गोदा पुत्र भूरा के नाम खातेदारी दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के पिता के नाम रहन दर्ज है। आराजी मुताजा कभी भी वादी अथवा उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी नही रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार भूमि रहन रखने की अवधि अधिकतम 5 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भूमि स्वतः ही रहन मुक्त हो जाती है। मूल खातेदार गोदा द्वारा कभी भी आराजी मुतनाजा का बेचान वादी/पूर्वज को नही किया है। वादी ने अप्रमाणित आदेशिका दिनांक 3.1.73 की पेश की है किन्तु उक्त आदेशिका न्यायालय आदेश की श्रेणी मे नही आती है। उक्त आदेश में मूल खातेदार को सुनवाई का बाबत कोई तथ्य भी स्पष्ट नही है। आदेशिका में आदेश तहसीलदार द्वारा जारी किय गये है। उक्त दस्तावेज मात्र अप्रमाणित प्रति है तथा न्यायालय द्वारा जी नही होने के कारण साक्ष्य हेतु ग्राह्य नही है। रहन अवधि में आराजी मुतनाजा पर कबजा वादी का नही माना जा सकता है। मूल खातेदार द्वारा वादी को भूमि का कब्जा भी सुपुर्द करने के

--3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वादी प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के विधिक प्रावधान अनुसार आराजी मुतनाजा पर वादी का कोई हक व अधिकार शेष नही रहा है, जिस कारण आराजी मुतनाजा गोदा पुत्र भूरा के नाम ही खातेदारी दर्ज है। गोदा पुत्र भूरा के कोई विधिक वारिस नही होने पर भी वादी का उकत आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम रामपुरा (न्यारा) के हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 1.50 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छीतरमल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 82/2019
पेश करने की दिनांक – 23.07.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मौ. इकबाल मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामपुरा (न्यारा) के हाल खसरा नम्बर 335 रकबा 1.50 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:21:05 IST
Reason: SelfAttested